



# METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत के अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के अभियुक्तों को मा० न्यायालय द्वारा न्यायालय जेल में विताई गयी अवधि तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

## अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 12.05.2001 अभियुक्तगण द्वारा वादी के बक्से से रूपया तथा गहना चोरी कर लेने पर मु०अ०सं० 149/2001 धारा 380 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी पर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.06.2026 को माननीय न्यायालय एसीजे(जेडी)-27 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तों को **जेल में बिताई गयी अवधि तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड की** सजा सुनाई गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

## सजा का विवरण:-

- अभियुक्तों को **जेल में बिताई गयी अवधि की सजा।**
- अभियुक्तों को **2000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा।**

## दोषसिद्ध अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-वीपत पुत्र गंगा निवासी केशापुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
- लालबहादुर पुत्र बीपत निवासी केशापुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।



**एपीओ श्री मयंक सिंह**



**पैरोकार का० श्यामू साहनी**

